

परियोजना का नाम:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत रिंगालगढ़-दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-3.00 किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, थत्तूड़, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 2.205 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि -0.090 है० कुल 2.295 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-3-2008 के अनुसार निर्धारित ईको क्लास V के अन्तर्गत आता है।"

वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार रिंगालगढ़ कक्ष सं०-4 का घनत्व 0.4 है। अपितु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल /समरेखण में आरक्षित वन भूमि पर मात्र 108 वृक्ष प्रभावित/वाधित होने के फलस्वरूप प्रस्तावित कार्यस्थल का औसत घनत्व 0.2 आंका गया है, जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति है० दर रू० 6,57,000.00 (रू० छः लाख सत्तावन हजार मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 15,07,815.00 (रू० पन्द्रह लाख सात हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र) है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी